भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2313

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

बिहार में कौशल विकास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन

2313. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक बिहार में शुरू की गई कौशल विकास योजनाओं अथवा परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने युवाओं को नामांकित किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके और रोजगार प्राप्त कर चुके अथवा उद्यमशीलता संबंधी उद्यम शुरू कर चुके युवाओं की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं अथवा परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों द्वारा बिहार सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य देशभर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): जेएसएस का मुख्य उद्देश्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए आयु में छूट प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए कई व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(ख) से (ग) बिहार में उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

योजनाएं	**प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या**
पीएमकेवीवाई (वर्ष 2019 से 31.10.2025 तक)	4,75,358
जेएसएस (वर्ष 2019 से 31.10.2025 तक)	2,06,189
एनएपीएस (वर्ष 2019 से 31.10.2025 तक नियुक्त शिक्षु)	29,656
सीटीएस (सत्र 2019-20 से 2024-25 तक नामांकित उम्मीदवार)	6,60,585

इसके अलावा, एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए थे, केवल अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में ही नियोजन को विशेष रूप से ट्रेक किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित

उम्मीदवारों को अपने विभिन्न करियर अवसर चयन करने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख बनाने पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(घ) पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजनाओं के तहत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को सीधे धनराशि जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, संस्थानों को वजीफा सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है। बिहार राज्य में पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2019 से दिनांक 31.10.2025 तक जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में))

योजना	**जारी धनराशि**
पीएमकेवीवाई	321.58
जेएसएस	59.61
एनएपीएस	44.67

*****